न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर

पीठासीन अधिकारी :– एल. एन. मंत्री, आर॰ए॰एस॰

प्रकरण संख्या 02/2018 (डूंगरपुर डिक्री)

घनश्याम मेहता पिता केशुरामजी मेहता, निवासी पारडा मेहता, तहसील सागवाड़ा, जिला डूंगरपुर (राज.)

..... अपीलान्ट

बनाम

1. विद्याशंकर पिता वलमजी त्रिवेदी, निवासी पारडा मेहता, तहसील सागवाड़ा, जिला डूंगरपुर (राज.)
2. राधेश्याम पिता वलमजी त्रिवेदी, निवासी पारडा मेहता, तहसील सागवाड़ा, जिला डूंगरपुर (राज.)
3. दीपक कुमार पिता वलमजी त्रिवेदी, निवासी पारडा मेहता, तहसील सागवाड़ा, जिला डूंगरपुर (राज.)
4. श्रीमती सुशीला देवी पत्नी विजयलाल खराड़ी मीणा, निवासी पारडा मेहता, तहसील सागवाड़ा, जिला डूंगरपुर (राज.)
5. राज्य सरकार जरिये भूमिधारी तहसीलदार सागवाड़ा, जिला डूंगरपुर।

..... रेस्पोन्डेन्टगण

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान
काश्त. अधि. 1955 विरूद्ध निर्णय व
डिक्री उपखण्ड अधिकारी, सागवाड़ा
दिनांक 12.04.2016, प्र. सं. 41/2010

———/———

उपस्थित(वक्तबहस) 1– श्री दिनेश चौबीसा अभिभाषक अपीलान्ट
2– श्री एल.एल. जैन अभिभाषक रे.सं. 1 से 4
3– श्री पैरोकार सरकार रेस्पोन्डेन्ट संख्या 5

———::———

निर्णय **दिनांक 30–10–2018**

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अधिनस्थ न्यायालय में अपीलान्ट/वादी द्वारा रेस्पोन्डेन्ट/प्रतिवादीगण के विरूद्ध एक वाद धारा 88,

188 एवं 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम एवं विक्रय पत्र शून्य घोषित किये जाने का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 3 जाति से ब्राहमण होकर ग्राम पारडा मेहता की कृषि आराजीयात पास–पास स्थित है। वादी के खाते की भूमि एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 3 के खाते की भूमि में से आराजी नंबर 871 रकबा 1 बीघा 3 बिस्वा पर वादी का कब्जा काश्तकारी कानून लागू होने से पूर्व का है। वादी का उक्त भूमि पर अपने पिता के समय से कब्जा चला आ रहा है, किन्तु उक्त भूमि प्रतिवादी संख्या 1 से 3 के खाते में होने के कारण उनके द्वारा प्रतिवादी संख्या 4 के पक्ष में विक्रय दिनांक 16–03–2010 को कर दिया गया है, जो वादी के मुकाबले बेअसर होकर प्रारम्भ से प्रभाव शून्य है। वादी का मुखालफाना कब्जा है। अतएवं आराजी नंबर 871 का वादी को खातेदार घोषित किया जाकर स्थाई निषेधाज्ञा दिलायी जावे तथा विक्रय पत्र दिनांक 16–03–2010 को प्रभाव शून्य घोषित किया जावे।

प्रतिवादी संख्या 1 से 4 की ओर से खण्डन का जवाबदावा प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादी का उक्त भूमि पर कभी भी मुखालफाना कब्जा नहीं रहा। प्रतिवादी संख्या 1 से 3 द्वारा प्रतिवादी संख्या 4 के पक्ष में विक्रय पत्र निष्पादित कर कब्जा सिपुर्द किया गया है। विक्रय पत्र को निरस्त करने का अधिकार राजस्व न्यायालय को नहीं है। वादी ने जमीन हड़पने की नियत से मिथ्या वाद प्रस्तुत किया है।

अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्लीडिंग्स के आधार पर निम्नानुसार तनकियात कायम की गयी :–

1. आया प्रतिवादी संख्या 1 से 3 के खाते की खसरा नंबर 871 रकबा 1 बीघा 3 बिस्वा पर वादी का कब्जा काश्तकारी कानून लागू होने से पूर्व का है ?..... वादी

2. आया मौजा पारडा मेहता की वादग्रस्त आराजी 871 रकबा 1 बीघा 3 बिस्वा पर वादी का मुखालफाना कब्जा होने से वादी खातेदार घोषित कराने का अधिकारी है ?..... वादी

3. आया वादग्रस्त भूमि प्रतिवादी संख्या 1 से 3 द्वारा विक्रय करने के बाद से प्रतिवादी संख्या 4 का कब्जा है ?..... प्रतिवादी

4. दादरसी ?

अधिनस्थ न्यायालय द्वारा उभयपक्षों को सुनने के बाद अपने निर्णय दिनांक 12–04–2016 से वादी का वाद खारिज कर दिया, जिससे रूष्ट होकर अपीलान्ट/वादीग द्वारा यह अपील इस न्यायालय में दिनांक 23–03–2018 को प्रस्तुत की गयी है।

अपील के साथ दफा 5 जाब्ता मियाद का आवेदन प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलान्ट/प्रार्थी ने प्रकरण में पैरवी हेतु अधिवक्ता सुन्दरलाल भण्डारी को नियुक्त कर रखा था एवं उन्होंने मुझे आवश्यकता होने पर बुलाने को कहा था। वादी के अधिवक्ता अस्वस्थ हो जोन से एवं वाद में उनकी मृत्यु हो जाने से अपीलान्ट/प्रार्थी को अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय की जानकारी नहीं हो सकी। मामला राजस्व अधिकारों से संबंधित है, जिसका प्रभाव वादी एवं बाद की पीढ़ियों को भुगतना पड़ेगा। अतएवं विलम्ब क्षमा किया जावे। ताईद में शपथ पत्र भी प्रस्तुत किया।

उक्त आवेदन का जवाब रेस्पोन्डेन्ट/विपक्षीगण द्वारा प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वकील सुन्दरलाल भण्डारी के साथ–साथ उनके दोनों पुत्र शैलेन्द्र भण्डारी एवं हितेष भण्डारी भी प्रकरण में बतौर वकील पैरवी कर रहे थे। अपीलान्ट गांव पारडा मेहता में पोस्ट मैन का कार्य करता है एवं इसके साथ ही वहां से तीन किमी दूर गांव ओबरी में मोबाईल एवं घड़ी विक्रय व रिपेयरिंग का व्यापार करता है तथा अधिनस्थ न्यायालय में प्रकरण में हमेशा उपस्थित होता रहा है। इसलिए अपीलान्ट/प्रार्थी को अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय की जानकारी नहीं होने का कथन बनावटी होकर झूठा है। ताईद में शपथ पत्र भी प्रस्तुत किया।

→ हमारे द्वारा उक्त आवेदन पर उभयपक्ष की बहस सुनी गयी एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया तो यह पाया कि अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय दिनांक 12–04–2016 की मियाद 11–06–2016 होता है, जबकि अपीलान्ट/प्रार्थी द्वारा यह अपील इस न्यायालय में दिनांक 23–03–2018 को अर्थात करीब 1 वर्ष 9 माह विलम्ब से प्रस्तुत की गयी है, जिसके लिए जो तथ्य वर्णित किये गये हैं वह न तो उचित हैं, न ही पर्याप्त। तद्नुसार अपील प्रथम दृष्टया बेरून मयाद होने से ही खारिज योग्य है।

जहां तक प्रकरण के गुणावगुण का प्रश्न है, प्रकरण में रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 से 4 की ओर से वकील श्री एल.एल. जैन उपस्थित हुए। रेस्पोन्डेन्ट

संख्या 5 की ओर से औपचारिक पक्षकार राजकीय अभिभाषक उपस्थित हुए। प्रकरण में वादी/अपीलान्ट प्रतिकूल कब्जे के आधार पर खातेदारी घोषणा चाहता है, जिसके सन्दर्भ में हाल ही में माननीय राजस्व मण्डल द्वारा 30 अगस्त 2018 को अपनी वृहत पीठ के निर्णय से यह न्यायिक अभिमत पारित किया है कि प्रतिकूल कब्जे के आधार पर काश्तकारी कानून में खातेदारी दिये जाने के कोई प्रावधान नहीं है। तद्नुसार वादी/अपीलान्ट का वाद प्रथमतः विधि विरूद्ध होकर प्रतिकूल कब्जे के आधार पर खातेदारी दिये जाने के प्रावधान काश्तकारी कानून में नहीं होने से खारिज योग्य है।

अतएवं अपील अपीलान्ट बेरून मयाद एवं सारहीन होने से खारिज की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 12–04–2016 यथावत रखी जाती है। तद्नुसार डिक्री पर्चा जारी हो।

पत्रावली बाद पूर्ण प्रविष्टि नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली लौटाई जावे। निर्णय आज दिनांक 30–10–2018 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(एल.एन. मंत्री)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

डिगरी व सीगे अपील

(ओ.41, रूल 35, जाब्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code Appendix 'G'-9)

अज अदालत.....**भू.प्र.अ. एवं पदेन रा.अ.अ.**.....मुकाम.....**उदयपुर**.....
व इजलास .....**एल. एन. मंत्री, आर.ए.एस.** .....

घनश्याम मेहता पिता केशूरामजी मेहता निवासी पारडा मेहता, तह0 सागवाड़ा, जिला डूंगरपुर बनाम **विद्याशंकर पिता वलमजी त्रिवेदी नि. पारडा मेहता, तह. सागवाड़ा, जिला डूंगरपुर व अन्य**

अपील नं०.....**02 / 2018**.....व नाराजगी डिगरी अदालत .....**उपखण्ड अधिकारी**.....
.....**सागवाडा**..... मुकाम.....मुवर्खे.....**....12**.....माह.....**04**.....**2016**

दावा बाबत

यह अपील व तारीख.....**30**.....माह.....**.10**.....सन् **2018** रूबरू.....**पक्षकारान** व हाजरी...**श्री दिनेशचन्द्र चौबीसा** ....मिनजानिब अपीलान्ट व .....**श्री एल.एल. जैन**

.....रेस्पोन्डेन्ट समाअत के लिए पेश होकर हुक्म हुआ कि..... **अपील अपीलान्ट बेरून मयाद एवं सारहीन होने से खारिज की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 12–04–2016 यथावत रखी जाती है।**

(खर्चा अपील हाजा का हस्ब तफसील जेल तादादी मुवलिग.....**X**.....).....रूपये .... **X**..... अदा करें, खर्चा मुकदमा मातहत का..... **X** .....अदा करें।

मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत आज तारीख.....**30**.....माह.....**.10**.....**2018** को जारी किया गया ।

(एल.एन. मंत्री)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

खर्चा अपील

अपीलान्ट	रू0	पै0	रेस्पोन्डेन्ट	रू0	पै0
1. स्टाम्प अपील ... . 2. स्टाम्प वकालत नामा ..... 3. इजराय हुक्मनामा ..... 4. वकील फीस बाबत ..... मीजान			1. स्टाम्प वकालत नामा... 2. स्टाम्प अर्जी ..... 3. इजराय हुक्मनामा ..... 4. मेहनताना वकील..... मीजान		

नोटः– इस खर्चे के फार्म पर फरीकेन का कुल खर्चा अपील का, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो।